



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

देहरादून, बुधवार, 03 सितम्बर, 2025 ई०

भाद्रपद 12, 1947 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-4

संख्या 407/XXX(4)/2025-04(03)/2016

देहरादून, 03 सितम्बर, 2025

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0-14

राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद 233 संपठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 2004 एवं संशोधित उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली 2024 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2025

संक्षिप्त 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा (संशोधन)
नाम नियमावली, 2025 है।
और
प्रारम्भ

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 2. उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 2004 (जिसे आगे इसके पश्चात्
15 का मूल नियमावली कहा गया है) एवं संशोधित उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा
संशोधन (संशोधन) नियमावली, 2024 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 15
के उपनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया
जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

(2) मुख्य न्यायाधीश अथवा मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित समिति द्वारा प्रतियोगितात्मक परीक्षा का पैटर्न और पाठ्यक्रम निर्धारित किया जायेगा, जिसे राज्य सरकार के अनुमोदनोपरान्त अन्तिम रूप प्रदान किया जायेगा।

नियम 3.
19 का
संशोधन

मूल नियमावली 2004 एवं संशोधित नियमावली 2024 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 19 के उपनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

(2) सभी अभ्यर्थी जिनके नाम मुख्य न्यायाधीश अथवा मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित समिति के द्वारा 1:3 के अनुपात में सूची में अन्तिम किये गये हो, लिखित परीक्षा में उपस्थित होंगे और प्रतियोगितात्मक परीक्षा का पैटर्न और पाठ्यक्रम मुख्य न्यायाधीश अथवा मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित समिति द्वारा निर्धारित किया जायेगा, जिसे राज्य सरकार के अनुमोदनोपरान्त अन्तिम रूप प्रदान किया जायेगा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(2) मुख्य न्यायाधीश अथवा मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित समिति द्वारा प्रतियोगितात्मक परीक्षा का पैटर्न और पाठ्यक्रम निर्धारित किया जायेगा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(2) सभी अभ्यर्थी जिनके नाम मुख्य न्यायाधीश अथवा मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित समिति के द्वारा 1:3 के अनुपात में सूची में अन्तिम किये गये हो, लिखित परीक्षा में उपस्थित होंगे और प्रतियोगितात्मक परीक्षा का पैटर्न और पाठ्यक्रम मुख्य न्यायाधीश अथवा मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित समिति द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

आज्ञा से,

शैलेश बगौली,

सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of article 348 of the "Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 407/XXX(4)/2025-04(3)/2016, Dehradun dated September 03, 2025 for General information.

No. 407/XXX(4)/2025-04(3)/2016
Dated Dehradun, September 03, 2025

NOTIFICATION
MISCELLANEOUS

In exercise of the powers conferred by article 233 read with proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor is pleased to make the following rules in view to further amend the Uttarakhand Higher Judicial Service Rules, 2004, and Rules 2024 namely :-

The Uttarakhand Higher Judicial Service (Amendment) Rules 2025

Short title and Commencement 1. (1) These Rules may be called the Uttarakhand Higher Judicial Service (Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force at once.

Ammendment of Rule 15 2. In the Uttarakhand Higher Judicial Service Rules, 2004 (hereinafter referred to as principal rules) and Uttarakhand Higher Judicial Service (Amendment) Rules, 2024 for existing sub-rule (ii) of Rule 15, as set out in column 1 below, the sub-rule as set out in column-2 shall be substituted, namely-

Column 1 Existing Rule	Column 2 Rule hereby Substituted
(ii) The Chief Justice or Committee constituted by the Chief Justice shall prescribe the pattern and syllabus of competitive examination. which shall be finalized after approval of the State Government.	(ii) The Chief Justice or Committee constituted by the Chief Justice shall prescribe the pattern and syllabus of competitive examination.

Ammendment of Rule 19 3. In the Principal rules 2004 and Uttarakhand Higher Judicial Service (Amendment) Rules, 2024 for existing sub-rule (ii) of Rule 19, as set out in column 1 below, the sub-rule as set out in column-2 shall be substituted, namely-

Column 1 Existing Rule	Column 2 Rule hereby Substituted
(ii) All the candidates, whose names are in the list finalized by the Chief Justice or Committee constituted by Chief Justice in the ratio of 1:3, shall appear in the written examination and the pattern and syllabus of competitive examination shall be as prescribed by the Chief Justice or Committee constituted by the Chief Justice, which shall be finalized after approval of the State Government.	All the candidates, whose names are in the list finalized by the Chief Justice or Committee constituted by Chief Justice in the ratio of 1:3, shall appear in the written examination and the pattern and syllabus of competitive examination shall be as prescribed by the Chief Justice or Committee constituted by the Chief Justice.

By Order,

SHAILESH BAGAUJI,
Secretary.